

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 8 : Tax liability on composite and mixed supplies.

The tax liability on a composite or a mixed supply shall be determined in the following manner, namely:—

- (a) a composite supply comprising two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply; and
 - (b) a mixed supply comprising two or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax.
-

धारा 8 : संयुक्त और मिश्रित पूर्तियों पर कर का दायित्व

किसी संयुक्त या मिश्रित पूर्ति पर कर के दायित्व का अवधारणा निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके की गई किसी संयुक्त पूर्ति को, जिसमें से एक मुख्य पूर्ति है, ऐसे मुख्य पूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा; और
 - (ख) दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके की गई मिश्रित पूर्ति को उस विषिष्ट पूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है।
-